न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक एक/निग/विदिशा/भू.रा./2017/3794

596

श्री ...... द्वारा आज दि. 11/10/17 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
पेशी दिनांक 16-10-17

L.S. Dhakad
11/10/17

शिवनारायण शर्मा पुत्र मनीराम शर्मा
निवासी– ग्राम मढिया धामनोद, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा म0प्र0

——— आवेदक

बनाम

1– रामनारायण शर्मा पुत्र मनीराम शर्मा

2– शिवनारायण पुत्र मनीराम शर्मा

3– अवधनारायण पुत्र मनीराम शर्मा

4– श्रीकांत शर्मा उर्फ अभिनव शर्मा पुत्र मनीराम शर्मा

5– सचिन पुत्र शिवनारायण शर्मा

निवासी– ग्राम मढिया धामनोद, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा म0प्र0

6– गुडडी बाई पुत्री मनीराम शर्मा पत्नी भवानी प्रशाद शर्मा निवासी– ग्राम बरेला गुफा मंन्दिर, भोपाल

7– गीता बाई पुत्री मनीराम शर्मा पत्नी हरिशकर शर्मा निवासी– वासादेही, तहसील ग्यारसपु, जिला विदिशा म.प्र.

———अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, ग्यारसपुर, जिला विदिशा

, के प्रकरण क्रमांक 61/अ–27 /2016–17 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1– यहकि, ग्राम पिपरिया पारासर, तहसील ग्यारसपुर, जिला **विदिशा** की भूमि सर्वे क्रमांक 129/1 रकवा 1.066 है., सर्वे क्रमांक 139/रकवा 0.418 है, सर्वे क्रमांक 142/1 रकवा 0.250 है., सर्वे क्रमांक 148/1 रकवा 0.195 है., सर्वे क्रमांक 151/1/2 रकवा 0.209 है., कुल किता 5 कुल रकवा 2.136 हैक्टर के अभिलिखित भूमि स्वामी शिवनारायण शर्मा है। तथा सर्वे क्रमांक 151/1/1 रकवा 0.627 है.,रामनारायन के नाम दर्ज, सर्वे क्रमांक 142/2 रकवा 0.753 है. ,अवधनारायण, रामनारायन, अभिनव, के नाम पर दर्ज है।

2– यह कि ग्राम नरयावल स्थित भूमि सर्वे क. 40 रकवा 0.418 है., सर्वे क.50 रकवा 3.691 हक्टै., सर्वे क. 59 रकवा 0.136 हैक्ट., सर्वे क. 68 रकवा 0.627 हैक्ट., सर्वे क. 72 रकवा 0.877 हैक्ट. सर्वे क. 144 रकवा 0.669 हैक्ट., सर्वे क. 148 रकवा 1.662 हैक्ट. कुल किता 7 कुल रकवा 8.080 हैक्ट.आवेदक एव अनावेदकगण के नाम पर दर्ज है। सर्वे क. 32/2/1 रकवा 0.567 हैक्ट., सर्वे क. 70/2 रकवा 0.491 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकवा 1.058 हैक्ट.का आवेदक शिवनारायण भूमि स्वामी दर्ज है। सर्वे क. 64 रकवा 1.035 हैक्ट., सर्वे क.145 रकवा 0.293 हैक्ट., सर्वे क. 146 रकवा 0.314 हैक्ट., सर्वे क. 70/1 रकवा 1.975 हैक्ट., सर्वे क. 32/2/2 रकवा 0.060 हैक्ट. कुल किता 5 कुल रकवा 3.677 हैक्ट. अवधनारायण व श्रीकांत के नाम दर्ज है।

3– यह कि ग्राम कोलुआ धामनोद, तहसील ग्यारसपुर की भूमि सर्वे क. 110/2 रकवा 1.757 हैक्ट. सर्वे क. 115 रकवा 0.188 हैक्ट., सर्वे क. 116 रकवा 1.300 हैक्ट., सर्वे क. 117 रकवा 0.010 हैक्ट, सर्वे क.119 रकवा 1.818 हैक्ट कुल रकवा 4.830 हैक्ट. में से रकवा 2.071 हैक्ट. पर अवधनारायण व श्रीकांत का हिस्सा अंकित है।

XXIX(a)-BR(H)-11

596

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3794

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	